वित्त निर्देश 02/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 15/सी-27644/वित्त/नियम/चार/2010, रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-क्रमोन्नत/वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण ।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 642/661/वित्त/नियम/चार/2003, दिनांक 18.8.2003
वित्त निर्देश क्रमांक 45/2003

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों हेतु क्रमोन्नत/वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश जारी किये गये है । जिसके अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन का निर्धारण अंतिम रूप से हो चुका है, पुनः नहीं खोले जाएंगें ।

कतिपय विभागों द्वारा शासन से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि वे शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पूर्व 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके थे एवं उन्हें पात्रता होते हुए भी क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की जावे ।

राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि सेवानिवृत्त/मृत शासकीय सेवक को सेवाकाल में क्रमोन्नति की पात्रता थी किन्तु उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं प्रदाय किया था तो ऐसे प्रकरणों में क्रमोन्नति का लाभ देते हुए आवश्यकतानुसार पेंशन का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 16/सी-27644/वित्त/नियम/चार/2010, रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग